GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)

MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे मंत्रालय)

RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

No.2011/H/28/1/RELHS/Court Case **New Delhi, dated 24.11.2021**

General Managers,
All Indian Railways,
Including Production Units, RDSO & NAIR.

Sub:- Retired Employees Liberalized Health Scheme (RELHS- 97) – Regarding.
Ref:- Railway Board's letter of even number dated 31.05.2012 and 31.07.2018.

Kind attention is invited to Board's letter cited under where-in joining of RELHS -97 Scheme was made open-ended for Pre-March 2009 retirees. For March 2009 and onward upto 31.05.2012 retirees joining RELHS was made available for one year i.e upto 31.05.2013. However, the matter of opening of joining of RELHS-97 Scheme has been engaging attention of Ministry of Railways for some time. Demands in this regard were also received from various employee Associations/NFIR/AIRF.

After careful and detailed examination of the matter, it has been decided with the approval of the Competent Authority to modify the joining RELHS' 97 provision contained in Board's letter dated 31.05.2012, cited under reference, as under:-

"The RELHS-97 Scheme will remain open ended for all retired employees/ their spouses, in the cases where the employee retired/ died in harness upto 31.05.2012, with a lock-in-period of six months for referral outside the Railway Hospital with the rider that this lock-in-period can be relaxed only in an emergency provided the patient is either admitted or visits the Railway Hospital and the facilities for the treatment are not available in Railway Hospital. Such referrals are to be processed only on recommendation of a specially constituted Medical Board. Further, for employees/ their spouse and eligible dependents in the cases where the employee retired/ died in harness, from 01.06.2012 onwards, joining RELHS Scheme shall remain mandatory.

Other terms and conditions of joining of RELHS & exemptions already available will remain unchanged. The rate of subscription for Joining RELHS-97 will also remain unchanged i.e double of "Updated Monthly Basic pension" as on date of giving application for joining RELHS. For spouse of railway employees who died in harness up to 31.05.2012, joining of RELHS will also remain open-ended with existing terms and condition by depositing an amount double the "Updated Monthly Basic Family Pension" as on date of giving application for joining RELHS.

This issues with the concurrence of Finance Directorate in the Ministry of Railways.

(Dr. Praval Pant) (डा. प्रवाल पंत)
Director, Ind. Health (नि./औ.स्वा.)
Railway Board (रेलवे बोर्ड)

...2/-

No.2011//28/1/RELHS/Court Case **New Delhi, Dated 24.11.2021**

Copy forwarded to:-

1. PCMDs/ PCMOs, All Indian Railways Including PUs, RDSO & NAIR.
2. PFAs/ All Indian Railways Including PUs, RDSO & NAIR.
3. PCPOs, All Indian Railways Including PUs, RDSO & NAIR.

(Dr. Praval Pant) (डा. प्रवाल पंत)
Director, Ind. Health (नि./औ.स्वा.)
Railway Board (रेलवे बोर्ड)

No.2011//28/1/RELHS/Court Case **New Delhi, Dated - .11.2021**

Copy forwarded to:-

1.The Principal Director of Audit, All Indian Railways Including PUs, RDSO & NAIR.
2. Dy. Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.

For Member Finance /Railway Board

No.2011//28/1/RELHS/Court Case **New Delhi, Dated 24.11.2021**
Copy to:-

1. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi.
2. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan New Delhi.
3. All Members of Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side. National Council, 13-C, Ferozshah Road, New Delhi.
4. The Secretary General, FROA & IRPOA, Room No.256-A & 268, Railway Board.
5. The General Secretary, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
6. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary, RBMSA, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
11. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No.8 Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi.
12. General Secretary, Retired Railway Employees Welfare Association (Regd.), 490A/16, Gurudwara Road, Gurgaon.

For Secretary, Railway Board

Copy to:-

F(E) Special Branch & ERB-III Branch of Railway Board, New Delhi.

Pl. Issue

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.2011/एच/28/1/आरईएलएचएस/कोर्ट केस नई दिल्ली, दिनांक 24.11.2021

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां,
आरडीएसओ एवं एनएआईआर।

विषय: सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना (आरईएलएचएस-97) के संबंध में।
संदर्भ: रेलवे बोर्ड के दिनांक 31.05.2012 और 31.07.2018 के समसंख्यक पत्र।

आपका ध्यान बोर्ड के उक्त उल्लिखित पत्र की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें मार्च 2009 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आरईएलएचएस-97 योजना में शामिल होने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं थी। मार्च 2009 से 31.05.2012 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आरईएलएचएस में शामिल होने की अवधि एक वर्ष अर्थात 31.05.2013 तक उपलब्ध थी। बहरहाल, रेल मंत्रालय में पिछले कुछ समय से आरईएलएचएस-97 योजना में शामिल होने की अवधि शुरू करने के मामले पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में विभिन्न कर्मचारी एसोसिएशनों/एनएफआईआर/एआईआरएफ से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

इस मामले की ध्यानपूर्वक और विस्तृत जांच करने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह विनिश्चय किया गया है कि बोर्ड के दिनांक 31.05.2012 के उक्त संदर्भित पत्र में अंतर्विष्ट आरईएलएचएस-97 में शामिल होने के प्रावधान को निम्नानुसार आशोधित किया जाए:-

"31.05.2012 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों/सेवा के दौरान मृत कर्मचारियों के मामले में आरईएलएचएस-97 योजना में शामिल होने हेतु सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों/उनके पति-पत्नी के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं होगी, जिसमें रेलवे अस्पताल के बाहर रेफर करने के लिए छह माह की लॉक-इन-अवधि इस शर्त के साथ होगी कि इस लॉक-इन-अवधि में केवल तात्कालिक परिस्थितियों में ही छूट दी जा सकती है बशर्ते या तो रोगी रेलवे अस्पताल में भर्ती हो अथवा रेलवे अस्पताल गया हो और रेलवे अस्पताल में उस उपचार की सुविधा उपलब्ध न हो। इस प्रकार रेफर किए गए मामलों पर विशेष रूप से गठित चिकित्सा बोर्ड की सिफ़ारिश पर ही कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, 01.06.2012 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों/सेवा के दौरान मृत कर्मचारियों के मामले में इन कर्मचारियों/इनके पति-पत्नी और पात्र आश्रितों के लिए आरईएलएचएस योजना में शामिल होना अनिवार्य होगा।

Issue
Signature
30/11/21

---2/-

आरईएलएचएस में शामिल होने संबंधी अन्य नियमों और शर्तों तथा पहले से उपलब्ध छूट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आरईएलएचएस-97 में शामिल होने की अंशदान दर भी अपरिवर्तित रहेगी अर्थात आरईएलएचएस में शामिल होने के लिए आवेदन करने की तारीख को "अद्यतन मासिक मूल पेंशन" की दुगुनी राशि। 31.05.2012 तक सेवा के दौरान मृत रेल कर्मचारियों के पति-पत्नी के लिए आरईएलएचएस में शामिल होन की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं होगी और मौजूदा नियमों एवं शर्तों के साथ आरईएलएचएस में शामिल होने के लिए आवेदन करने की तारीख को "अद्यतन मासिक मूल परिवार पेंशन" की दुगुनी राशि जमा करनी होगी।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

प्रवाल पंत

(डॉ. प्रवाल पंत)
निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

सं .2011//28/1/आरईएलएचएस/कोर्ट केस **नई दिल्ली, दिनांक-24.11.2021**

1. प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक/प्रधान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां, आरडीएसओ एवं एनएआईआर।
2. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां, आरडीएसओ एवं एनएआईआर।
3. वरिष्ठ प्रोफेसर स्वास्थ्य प्रबंधन, सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां, आरडीएसओ एवं एनएआईआर।

प्रवाल पंत

(डॉ. प्रवाल पंत)
निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

सं.2011/एच/28/1/आरईएलएचएस/कोर्ट केस **नई दिल्ली, दिनांक 24.11.2021**

प्रतिलिपि प्रेषित

1. प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक, सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां, आरडीएसओ एवं एनएआईआर।
2. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं .224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सदस्य वित्त/रेलवे बोर्ड

---3/-

सं.2011/एच/28/1/आरईएलएचएस/कोर्ट केस नई दिल्ली, दिनांक 24.11.2021

प्रतिलिपि प्रेषित-:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा सं.253, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा सं.256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सदस्य और सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ एवं आईआरपीओए, कमरा सं.256-ए एवं 268, रेलवे बोर्ड।
5. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं.256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, आरबीएमएसए, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' कर्मचारी वर्ग एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रोमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, कमरा नं. 8, भूतल, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. जनरल सेक्रेटरी, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन (पंजीकृत), कमरा नं. 490 ए/16, गुरुद्वारा रोड, गुरुग्राम।

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:-

रेलवे बोर्ड की एफ (ई) विशेष शाखा एवं ईआरबी-III शाखा।